**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।**

**उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0**

**(J.O. Code- UP 6546)**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1011 सन 2026**

**(CNR No. UPFT-010026152026)**

हेशाम शेख उर्फ हासिम पुत्र रफीक निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

**अपराध संख्या: 226 सन 2025**
**धारा: 336 (2), 340 (2) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/5/25 आयुध अधिनियम**
**थाना: गाजीपुर, जनपद फतेहपुर।**

**10.06.2026 :**

आवेदक/अभियुक्त हेशाम शेख उर्फ हासिम की ओर से उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 226 सन 2025 धारा 336(2), 340(2) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री अमित कुमार तिवारी चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया गया है कि उसका कोई पैरोकार नहीं है जिस कारण वह शपथपत्र जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नहीं कर पा रहा है और उसके जमानत प्रार्थनापत्र को ही शपथपत्र के रूप में पढ़ा जाय।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्य दिनांक 22.09.2025 को मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तलाश वांछित अपराधी एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में औगासी पुल के पहले बने चेकिंग पोस्ट बैरियर पर मौजूद रहकर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, मौके पर रात्रि कोबरा मोबाइल पर डयूटीरत कर्मचारीगण उपस्थित आये एवं सभी चेकिंग कर रहे थे कि तभी मुखबिर खास से इस आशय की सूचना मिली कि दो बाइक में तीन बदमाश जिनके पास अवैध

असलहे है और उनमें से एक फहीम खां उर्फ राजू पर जनपद फतेहपुर में पच्चीस हजार रूपये का पुरूस्कार घोषित है व उसके पास चोरी की बाइक है, बांदा से फतेहपुर की तरफ आ रहे है, इस सूचना पर पुलिस पार्टी सर्तकता से चेकिंग करने लगी तभी दो मोटरसाइकिल जिस पर एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति एवं दूसरे पल्सर मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति सवार होकर आते दिखायी दिये, कुछ समीप आने पर टार्च की रोशनी पड़ने पर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यहीं व्यक्ति है और चला गया, पुलिस बल ने टार्च की रोशनी में रूकने का इशारा किया कि इतने में एकदम तेजी से दोनों मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल को अचानक पीछे मोड़कर भागा चाहा कि एकबारगी दबिश देकर घेर घार कर दोनों मोटरसाइकिल सवारों को मौके पर पकड़ लिया गया तथा उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम **फहीम खां उर्फ राजू** बताया जिसकी जामा तलाशी में कमर में पैण्ट की फेंट से लगा एक अदद पिस्टल 32 बोर फैक्ट्री मेड जिसकी मैग्जीन में चार अदद जिन्दा कारतूस, जेब से एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर व दो पैन कार्ड एक ही व्यक्ति के एवं एक ड्राइविंग लाइसेंस व तीन एटीएम कार्ड व एक क्रेडिट कार्ड तथा टूटा हुआ आधार कार्ड, एक अदद मोबाइल एवं एक हजार रूपये बरामद हुए जिनका विस्तृत विवरण फर्द बरामदगी में उल्लिखित है, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम **हेशाम शेख** बताया जिसकी जामा तलाशी में कमर में घुसा एक अदद तमंचा 315 बोर व पैण्ट की जेब से तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक मोबाइल बरामद हुआ तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्पेलण्डर नम्बर यू0पी0 78/ई0जे0–6790 जिसका चेचिस नम्बर मिटा हुआ है, बरामद हुई और दूसरी मोटरसाइकिल पल्सर पर सवार तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम **अब्दुल** बताया जिसकी जामा तलाशी में कमर के फेंट में घुस एक अदद तमंचा 315 बोर व पीठ पर टंगे पिट्ठू बैग में तीन अदद तमंचा 315 बोर एवं पैण्ट की जेब से छः अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व मोबाइल एवं तीन सौ रूपये बरामद हुए तथा पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त व्यक्तियों से पिस्टल, तमंचा व कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सके तथा बताया कि अपनी सुरक्षा में रखते है एवं असलहों को अलग अलग जनपदों में जाकर बेंचते है तथा अभियुक्त फहीम खां ने यह भी बताया कि हीरो सुपर स्पेलण्डर मोटरसाइकिल जिसे वह चला रहा है, उसने भीखनपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर से चोरी किया है और इस पर गलत नम्बर प्लेट लगाया है और जो पल्सर अब्दुल के पास से मिली है, वह पल्सर 125 वाहन संख्या यू0पी0 90/ए0एफ0–1519 उसकी है जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है तथा अपने साथियों के साथ मिलकर फतेहपुर व अन्य जनपदों में सुनारों की रैकी करके लूटपाट करते है। बरामद तमंचा, कारतूस व कार्ड, मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर सर्वमुहर कर फर्द मौके पर तैयार की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री अमित कुमार तिवारी एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी सोच समझकर विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध नहीं बनता है। आवेदक के पास से दर्शित कथित बरामदगी फर्जी है। अभियोजन कथानक व साक्ष्य में विरोधाभास है। आवेदक अपनी बहन के रिश्ते हेतु आया था और वाहन चेकिंग के दौरान पैसा न देने पर फर्जी बरामदगी दिखाकर झूंठा चालान किया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। सह अभियुक्तगण की जमानतें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 23.09.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्तगण के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में तमंचा व कारतूस, पिस्टल एवं चोरी की मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी तथा विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सह अभियुक्तगण की जमानतें माननीय सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके व सह अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस व रूपये आदि बरामद किये गये तथा उसने सहित सह अभियुक्तगण के साथ चोरी की मोटरसाइकिल की चेचिस नम्बर मिटाया एवं नम्बर प्लेट हटाया। प्राथमिकी के अनुसार वादी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्य के नेतृत्व में पुलिस द्वारा दिनांक 23.09.2025 को आवेदक/अभियुक्त हेशाम शेख को सह अभियुक्तगण फहीम खान उर्फ राजू व अब्दुल के साथ को गिरफ्तार किया गया तथा सह अभियुक्त अब्दुल के कब्जे से पल्सर मोटरसाइकिल, पिट्ठू बैग से 03 अदद तमंचा 315 बोर, कमर में घुसा 01 अदद तमंचा 315 बोर, पैण्ट की जेब से 06 अदद जिन्दा कारतूस, मोबाइल व तीन सौ रूपये एवं सह अभियुक्त फहीम खान उर्फ राजू के कब्जे से 01 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 04 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर, दो पैन कार्ड एक ही व्यक्ति के, एक ड्राइविंग लाइसेंस,

तीन ए0टी0एम0 कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, एक टूटा हुआ आधार कार्ड, मोबाइल व एक हजार रूपये तथा आवेदक/अभियुक्त हेशाम खान के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व तीन अदद जिन्दा कारतूस, एक मोबाइल बरामद किया जाना एवं अभियुक्तगण के कब्जे से एक सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल जिसका चेचिस नम्बर मिटा हुआ है, बरामद की गयी जिसे चोरी की होना तथा दूसरी बरामद पल्सर मोटरसाइकिल सह अभियुक्त फहीम खान की होना बताया जाता है, बरामद किया जाना एवं आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण को अवैध असलहे बेंचने एवं रेकी कर सुनारों से लूटपाट करने का भी उल्लेख किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। सह अभियुक्तगण अब्दुल व फहीम खान उर्फ राजू की जमानतें माननीय उच्च न्यायालय से क्रमश: दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 36574 सन 20025 व 567 सन 2026 में पारित आदेश दिनांकित 15.11.2025 व 06.02.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और आवेदक/अभियुक्त का मामला भी उन्हीं के समान बताया गया है। सम्बन्धित थाने से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.09.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त हेशाम शेख उर्फ हासिम की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

दिनांक: 10.06.2026

( **सुधीर कुमार– V** )
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.10 12:33:55 +05'30'